Madhya Pradesh
Agriculture Marketing Board
26, Kisan Bhawan, Arera Hills, Bhopal– 462004

E-mail

Website: www.mandiboard.gov.in e-Mail: - enammpsamb@gmail.com Tel: - 0755-2554076

S.No./Board/e-NAM/2018-19/e-4 (Part-3)/ 350 Bhopal, Date: - 24/01/2020

To,

Joint secretary
Government of India
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Department of Agriculture, Cooperation and Farmer welfare
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

Subject: - Regarding amendments in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Online trading and e-Platform License) Rules.

As mentioned above following amendments have been made in online trading and e-Platform License,

1. Any person desiring to obtain Online trading License as per sub rule (2) of rule 3 shall have to apply to the Managing Director or the officer authorized by him for grant of License in Form-A with the information mentioned in the said form along with a Fee of Rs. 500/- per annum. If the applicant is valid License Trader of any APMC in the state, then the Managing Director will permit him, by making procedure to participate in Online Trading and etc. (Attachment enclosed:- Gazette, dated 04.10.2018, Page no.1112 Chapter III in rule 4,)

2. For applicant residing in or outside the market area, it will be compulsory to deposit Rs. 3.00 lakh for "A" grade, Rs. 2.00 Lakh for "B" grade, Rs. 1.50 Lakhs for "C" grade, and Rs. 1.00 Lakhs for "D" grade class APMC's in the mandi account for five years by making a bank guarantee in favor of the concerned APMC and etc. (Attachment enclosed:- order no. 86, dated 31.7.2018)

3. By using power under "Rules 2016", to refuse or to approve, renew or approve a trade license, suspend or authorize a license and to take action, secretary of APMC is authorized to do so and etc. (Attachment enclosed:- order no. 551, dated 26.10.2018)

So, as per the above amendments we requested you to kindly give directions to the related officials to upload the attached amendment documents on e-NAM portal and take necessary actions.

Attachments: - As mentioned above.

27/01/2020
Joint Director
M.P. State Agriculture Marketing Board,
Bhopal.

S.No./Board/e-NAM/2018-19/e-4 (Part-3)/ 351 Bhopal, Date: - 24/01/2020

CC to: -

1. M.D. SFAC, New Delhi for your kind information and necessary action.
2. Principal Secretary, Government of M.P. Farmer Welfare and Agriculture Department.
3. Shri Arvind Sharma Project Manager NFCL New Delhi and Shri Manish Kumar Badal State Coordinator NFCL Bhopal.

Attachments: - As mentioned above.

27/01/2020
Joint Director
M.P. State Agriculture Marketing Board,
Bhopal.

Scanned by CamScanner

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 556] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2018—आश्विन 12, शक 1940

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2018

क्र. डी-15-45-2016-चौदह-3.—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 32-क के साथ पठित धारा 79 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (छह) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (ऑन लाईन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

1. उक्त नियमों में, अध्याय-तीन के नियम 4 में,—

(1) उप-नियम (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार ऑनलाईन व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रबंध संचालक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्ररूप-क में उक्त प्ररूप में उल्लिखित जानकारी के साथ रुपये 500/- (रुपये पांच सौ मात्र) प्रतिवर्ष की फीस के साथ आवेदन करना होगा. यदि आवेदक राज्य में किसी कृषि उपज मंडी समिति (ए. पी. एम. सी.) का विधिमान्य अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी है, तो प्रबंध संचालक, ऑनलाईन व्यापार में भाग लेने की प्रक्रिया द्वारा, उसे अनुज्ञा प्रदान करेगा.".

"(2) आवेदक, आवेदन के साथ उसके द्वारा एक दिन में आशयित उसके अधिकतम क्रय मूल्य की, प्रतिभूति के रूप में बैंक सावधि जमा रसीद (एफ. डी. आर.) अथवा बैंक गारंटी (प्रत्याभूति) प्रस्तुत करेगा, जो राष्ट्रीयकृत बैंक से आहरित और भोपाल मध्यप्रदेश में उक्त बैंक की शाखा पर मान्य और प्रस्तुति योग्य हो या जैसा कि, प्रबंध संचालक द्वारा विनिश्चित किया जाए और यह भी कि यदि आवेदक कृषि उपज मंडी समिति का अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी है तो वह कृषि उपज मण्डी समिति में व्यापार हेतु जमा की गई प्रतिभूति का उपयोग कर सकेगा.".

Scanned by CamScanner

2. नियम 5 में, उप-नियम (2) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क) आवेदक, पिछले तीन वर्षों से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या किसी अन्य विद्यमान प्रवर्तित विधि के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कम्पनी होगा और अन्य बातों के साथ-साथ राज्य कृषि विपणन बोर्ड/कृषि उपज मण्डी समिति/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में, अधिसूचित कृषि उपज की इलेक्ट्रानिक नीलामी सेवा कारोबार में हो और केवल इसी सेवा से उसका कुल टर्नओवर ठीक पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान कम से कम दो करोड़ रुपये का हो, (आवेदन के साथ पिछले निकटतम दो वर्षों के अंकेक्षित तुलन पत्रक (Audited Balance Sheet) तथा लाभ और हानि के लेखा की स्व-प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी.".

(2) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ख) आवेदक को अधिसूचित कृषि उपज के लिए ई-नीलाम प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए मान्यताप्राप्त होना चाहिए और उसने ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक कम से कम 1000 ई-नीलामियां कुल (नीलामी) जिसमें मूल्य की ऐसी सभी ई-नीलामी से रुपये 200,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़) मूल्य की पूर्ण की होना चाहिए (आवेदन के साथ सम्बद्ध दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी.".

(3) उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) आवेदक, रुपये 25,00,000/- (रुपये पच्चीस लाख) मूल्य की निष्पादन प्रतिभूति, राष्ट्रीयकृत बैंक से आहरित और भोपाल मध्यप्रदेश की उक्त बैंक शाखा, पर मान्य और प्रस्तुत योग्य बैंक गारंटी या बैंक सावधि जमा रसीद (एफ. डी. आर.) के रूप में प्रस्तुत करेगा. यह निष्पादन प्रतिभूति, कार्य परिचालन के एक वर्ष पश्चात्, अनुज्ञप्तिधारी के ई-प्लेटफार्म के माध्यम से सम्पन्न ऑन लाईन व्यापार की कम से कम पांच प्रतिशत और या न्यूनतम रुपये 50,00,000/- (रुपये पचास लाख) जो भी अधिक हो, पुनरीक्षित की जाएगी.".

Bhopal, the 4th October 2018

No. D-15-45-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (vi) of sub-section (2) of Section 79 read with Section 32-A of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam !972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby makes amendments in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Online Trading and E-platform Licence) Rules, 2016, which have been previously published as required by sub-section (1) of Section 79 of the said Adhiniyam, namely:—

In the said rules, in CHAPTER-III in rule 4,

(1) for sub-rule (1) and (2) the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Any person desiring to obtain Online Trading License as per sub-rule (2) of rule 3 shall have to apply to the Managing Director or the officer authorized by him for grant of License in Form-A with the information mentioned in the said form along with a fee of Rs. 500/- (Rupees five hundred only) per annum. if the applicant is valid Licensee Trader of any APMC in the State, then the Managing Director will permit him, by making procedure to participate in Online Trading.".

"(2) The Applicant shall submit, along with application security of, value of their maximum purchase intended in one day, in the form of Bank Fixed Deposit Receipt (FDR) or Bank Guarantee drawn from a nationalized bank and presentable for honouring at the said Bank's branch in Bhopal, Madhya Pradesh or as may be decided by the Managing Director and also if the applicant is Licensee Trader of APMC, then he may use the Security, deposited into APMC for trade."

Scanned by CamScanner

2. In rule 5, in sub-rule (2), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) The Applicant shall be a company registered under the companies Act, 1956 (1 of 1956) or any other existing enforced law, for the fast three year and inter-alia should be in the business of electronic auctioning services for notified agricultural produce in state Agricultural Marketing-Board/APMCs/PSU and for the said service alone should have at feast total turnover of Rs Two crores during the immediate two financial years. (self attested copies of audited balance sheet and profit and loss account of immediate past two years to be submitted with the application).".

(2) For clause (b), the following clause shall, be substituted, namely :—

"(b) The applicant shall be recognized for providing e-auctioning platform for notified agricultural produce and should have successfully completed at least 1000 e-auctions during immediate two financial year with total (auction) value of Rs. 200,00,00,000/_ (Rs Two Hundred Crores) from all such e-auctions. (Self attested copies of relevant documents to be submitted with the application.".

(3) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted namely :—

"(3) The applicant shall submit, along with application performance security of value Rs. 25,00,000/- (Rs. Twenty five Lacs) in the form of Bank Guarantee drawn from a nationalized bank and presentable for honouring at the said Banks's Branch at Bhopal, Madhya Pradesh. This performance security would be revised after one year of operation to a minimum of Five percent of the total online trade accomplished through e-platform of the licensee and of minimum Rs. 50,00,000/- (Fifty Lacs), whichever is more.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

Scanned by CamScanner

8

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र/वी-6/नियमन/लाइसेंस/476/ 86 भोपाल, दिनांक 31/7/2018

प्रति,

1 सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति
मध्य प्रदेश (समस्त)

2 संयुक्त/उप संचालक,
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय (समस्त)

विषयः मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सेवा-म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 31 अंतर्गत वर्णित मंडी कृत्यकारियों को अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति मंजूर किये जाने या उसके नवीनीकरण किये जाने बावत् ।

संदर्भः1-मध्य प्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 31, दिनांक 09.03.2017 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 31, दिनांक 14.07.2017 में शामिल सेवा क्रमांक 31.8 फल-सब्जी प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता (मंडी कृत्यकारी) को नवीन अनुज्ञप्ति, 31.16 फल-सब्जी प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता (मंडी कृत्यकारी) की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण प्रदान करना ।

2-मंडी बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्रमांक/नियमन/लायसेंस/2137-2038 भोपाल, दिनांक 18.06.18 ।

विषय संदर्भ मे कंडिका 4 मे आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजो के संदर्भ में निम्नानुसार प्रावधानित किया गया था -

4. आवश्यक दस्तावेजः-

i. मंडी क्षेत्र के अथवा बाहर निवास करने वाले आवेदक को "अ' वर्ग की मंडी हेतु रूपये 3.00 लाख, "ब" वर्ग हेतु रूपये 2.00 लाख, "स" वर्ग हेतु 1.50 लाख तथा " द" वर्ग हेतु 1.00 लाख रूपये बैंक गारंटी अथवा एफ.डी.आर. न्यूनतम संबंधित मंडी समिति के पक्ष मे बनवाकर मंडी के खाते मे पांच वर्ष के लिये जमा करना अनिवार्य होगा। जो कि एक दिन की अधिकतम क्रय सीमा मात्रा के मूल्य अनुरूप वृद्धि की जावेगी।

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिभूति के अतिरिक्त अधिक क्रय क्षमता पर संबंधित मंडी के व्यापारी संघ द्वारा प्रदत्त वैध सामूहिक प्रतिभूति से अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को प्रदान की गई अतिरिक्त दैनिक क्रय क्षमता गारंटी उपविधि की कंडिका 18(3) के अनुरूप मान्य की जावेगी।

उक्त प्रावधान को विलोपित कर निम्नानुसार प्रावधान स्थापित किया जाता है :-

4. आवश्यक दस्तावेजः-

i (अ) मंडी क्षेत्र के आवेदक के द्वारा आवेदन के साथ एक दिन की अधिकतम क्रय क्षमता का उपविधि 18(3) के अनुसार घोषणा पत्र-प्ररूप-छः

(ब) मंडी क्षेत्र के आवेदक के द्वारा व्यक्तिगत प्रतिभूति के लिये एफ.डी.आर./ नकद प्रतिभूति दिये जाने की दशा मे उपविधि 18(4) के अनुसार प्रमाण पत्र प्ररूप-सात-अ

(स) मंडी क्षेत्र के आवेदक / अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा व्यक्तिगत प्रतिभूति के लिये उपविधि 18(4) के अनुसार मण्डी समिति मे अचल/स्थावर संपत्ति के जमा कराये गये मूल अभिलेख की प्रतिभूति, अनुज्ञप्ति की वैधता दिनांक तक प्रभावशील रहेगी परन्तु ऐसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के समय आवेदक/ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थावर सम्पत्ति के स्थान पर नकद, एफ0डी0आर0, बैंक गारण्टी अथवा सामूहिक प्रतिभूति जमा करायी जायेगी। यदि आवेदक/ अनुज्ञप्तिधारी अचल/ स्थावर संपत्ति को मण्डी समिति के पक्ष मे रजिस्ट्री द्वारा बंधक करता/ रखता है तो ऐसी प्रतिभूति उपविधि 18(4) के अन्तर्गत मान्य होगी।

(द) मंडी क्षेत्र के आवेदक के द्वारा प्रतिभूति (व्यक्तिगत/सामूहिक) के लिये बैंक गारंटी दिये जाने की दशा मे संबंधित बैंक के प्रबंधक का वचन पत्र।

(इ) आवेदक के द्वारा सामूहिक प्रतिभूति की दशा मे मण्डी समिति मे पंजीकृत व्यापारी एसोसिएशन का उपविधि 18(3) के अनुसार प्रमाण पत्र प्ररूप-सात।

(फ) मण्डी क्षेत्र के बाहर निवास करने वाले आवेदक को व्यक्तिगत प्रतिभूति के लिये "अ" वर्ग की मण्डी हेतु न्यूनतम रूपये 3.00 लाख, "ब" वर्ग हेतु न्यूनतम रूपये 2.00 लाख, "स" वर्ग हेतु न्यूनतम रूपये 1.50 लाख तथा "द" वर्ग हेतु न्यूनतम रूपये 1.00 लाख की मण्डी समिति के पक्ष मे नकद, एफ.डी.आर. अथवा बैंक गारंटी की प्रतिभूति ।

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार, समस्त आवेदको के द्वारा एक दिन की अधिकतम क्रय क्षमता के अनुसार प्रतिभूति दी जायेगी। परन्तु आवेदक की एक दिन की खरीदी का मूल्य, दी गई प्रतिभूति राशि से अधिक है तो आवेदक के द्वारा एक दिन की ऐसी वास्तविक क्रय क्षमता/खरीदी के मूल्य अनुरूप प्रतिभूति मे अनुपातिक वृद्धि कर, तत्समय मण्डी समिति को अतिरिक्त प्रतिभूति दी जायेगी।

आवेदन की शेष औपचारिकताये यथावत रहेगी।

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned by CamScanner

प्राप्त 26.10.2018

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–किसान भवन अरेरा हिल्स, भोपाल.

क–बी–6/नियमन/ऑन–लाईन व्य.अनु./ 581 भोपाल, दिनांक 26/10/2018

–:आदेश:–

1/ कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी–6/नियमन/ऑन–लाइन व्य.अनु./1287–1288 दिनांक 30.08.2017 से "मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (ऑन–लाईन व्यापार एवं ई–प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम, 2016" के अध्याय–दो के नियम 3 के उपनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त/उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय को, नियम 2016 के अध्याय–तीन के प्रावधान अनुसार ऑन–लाईन व्यापार अनुज्ञप्ति की मंजूरी, नवीकरण, मना करना, रद्दकरण, निलम्बन करने के लिये प्राधिकृत किया गया था। उक्त आदेश को एतत्द्वारा निरस्त किया जाता है।

2/ उक्त "नियम 2016" के अध्याय–दो के नियम 3 के उप नियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "नियम 2016" के अध्याय–तीन के नियम–4 के प्रावधान अनुसार ऑन–लाईन व्यापार अनुज्ञप्ति मंजूर करने, नवीकृत करने या मंजूर करने से इंकार करने, अनुज्ञप्ति निलम्बन या रद्दकरण करने तथा नियम–4 के उपनियम (1) एवं उपनियम (2) के अध्यधीन कार्यवाही करने के लिये सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति को प्राधिकृत किया जाता है।

3/ सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, ऑन–लाईन व्यापार अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु प्राप्त प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करते समय नियम–4 के उपनियम (1) तथा उपनियम (2) मे उल्लेखित उपबंधो का पालन सुनिश्चित करेगे।

4/ सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, उक्तानुसार जारी की गई ऑन–लाईन व्यापार अनुज्ञप्तियों की प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता तथा संयुक्त संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त) और सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त) को प्रति पृष्ठांकित करेगे।

5/ सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, उक्तानुसार जारी की गई ऑन–लाईन अनुज्ञप्तियो की, माह अन्त तक की स्थिति मे जानकारी तथा वर्ष अन्त 31 मार्च तक की स्थिति मे जानकारी से, अद्योहस्ताक्षरकर्ता तथा संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय (संबंधित) को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

order. san

Scanned by CamScanner

क्र-बी-6/नियमन/ऑन-लाईन व्या.अनु./552, भोपाल, दिनांक 26/10/2018

प्रतिलिपिः-

1- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मंत्रालय, भोपाल।

2- अपर संचालक (समस्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय ।

3- संयुक्त/उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय समस्त।

4- सचिव, कृषि उपज मंडी समिति .... समस्त।

5- नियमन/ईनाम/भा0मु0यो0/एम0आई0एस0 शाखा की ओर कार्यालयीन अभिलेख मे सुरक्षित रखने एवं मण्डी बोर्ड की वेबसाईट मे प्रदर्शित कराने हेतु।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned by CamScanner